CNR No.-UPVR010056442026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1860/2026

1– आजाद पुत्र मंगे

2– अनिता पत्नी मंगे

मूल निवासीगण महमूदाबाद, थाना किला परिक्षेत्र जनपद मेरठ, वर्तमान पता–गोला, थाना–सारनाथ, जनपद वाराणसी।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध सं0–212/2026

धारा– 87,115(2),61(2)(a)बी0 एन0 एस0

थाना–चोलापुर, जनपद–वाराणसी

06–06–2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **आजाद व अनिता** की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नीरज राजभर की पत्नी नीलम ने जरिए मोवादेल बताई कि वादी मुकदमा की बहन ज्योती उम्र 27 वर्ष व छोटी बहन अर्चना उम्र 16 वर्ष व पिता राजकुमार राजभर घर से लापता है। तब उसने पिता जी से जरिए मोबाईल बात करने का प्रयास किया तो बात हुई। उसने पूछा कि आप व बहन ज्योती व अर्चना कहाँ है तब बताए की उनके साथ है। उसने पुछा कि आप कहाँ पर हो तो आजमगढ़ बता कर फोन काट दिये। इसके बाद उसने काफी प्रयास किया किन्तु सम्पर्क नहीं हो पाया तब वह अहमदाबाद से चल कर अपने घर आया पिता जी व दोनो बहनो का इधर–उधर तलाश करता रहा किन्तु कोई जानकारी नही मिली। दिनांक 26.05.2026 को सायं करीब 5 से 6 बजे उसकी बड़ी बहन ज्योती घर आई। उसने पिताजी व छोटी बहन के बारे में पूछा तो सन्तोष जनक जवाब नही मिला आज दिनांक 30–05–2026 को बताई कि उसके पिताजी राजकुमार व उसके गाँव की बड़ी मम्मी मनशक्ती पत्नी भैयालाल व आजाद s/o मंगे व उसकी पत्नी अनीता उन्हें एक चार पहिया गाड़ी से मेरठ ले गए तथा कही पर उसकी छोटी बहन अर्चना की शादी सुमित पाल के साथ की तथा दुसरे दिन उसकी शादी गौरव पाल के साथ करके उसके पिता व आजाद व आजाद की पत्नी व उसकी बड़ी मम्मी मनशक्ती देवी वापस घर चले आए। 20 से 25 दिन बाद जिससे उसकी शादी उससे विवश करके किये थे, उसने उसे मारा पीटा, तब वह रात्रि में अकेले

Digitally signed by SANDHYA SRIVASTAVA
Date: 2026.06.06 19:54:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चुपके से निकलकर ट्रेन से पूछते–पूछते वाराणसी स्ट्रेशन पहुँचकर अपने घर वापस आई। उसके पिता व आजाद व आजाद की पत्नी व उसकी बड़ी मम्मी मनशक्ती उसके तथा उसकी बहन अर्चना के मर्जी विरुद्ध शादी कर भाग आए।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय से न तो निस्तारित हुआ है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी अभियुक्तगण न तो वादी मुकदमा के परिवार से सम्बन्धित है और न ही अभियुक्तगण का इस शादी से कोई सम्बन्ध है। असल बात यह है कि राजकुमार राजभर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से मिले और अपनी बच्चियो की शादी कराने हेतु कोई रिश्ता बताने का निवेदन किया, केवल प्रार्थी/अभियुक्तगण ने रिश्ता बता दिया था, और राजकुमार राजभर अपनी पुत्रियों की सहमति से शादी किया। वे निर्दोष है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया कि कथित पीड़ितागण ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाय।

उभय पक्षों के तर्कों के परिपेक्ष्य में अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की दोनों बहनों जिनकी उम्र लगभग 27 वर्ष व 16 वर्ष है, की शादी बिना उनकी सहमति के कराये जाने का अभियोग है। कथित प्रकरण में जिस पीड़िता को अवयस्क बताया गया है उसका उम्र से सम्बन्धित कोई प्रमाण–पत्र दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि राजकुमार राजभर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से मिले और अपनी बच्चियो की शादी कराने हेतु कोई रिश्ता बताने का निवेदन किया, केवल प्रार्थी/अभियुक्तगण ने रिश्ता बता दिया था, और राजकुमार राजभर अपनी पुत्रियों की सहमति से शादी किया। अभियोजन की ओर से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 31–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की दोषिता अथवा निर्दोषिता विचारण उपरांत हीं देखी जा सकती है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **आजाद व अनिता** द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) का व्यक्तिगत बंध पत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर बाद सत्यापन इस शर्त पर जमानत पर रिहा जाय कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेगें तथा मामले के साक्षियों को आतंकित व प्रभावित नहीं करेगें।

दिनांक: 06–06–2026

(संध्या श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी
JO Code-UP 6203

Steno-Km Kshama